न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–235/2012

CIS NO. TS-187/2018

मनोरमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मृतक रमेश प्रसार के विधिक वारिसान.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
28.06.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 23.06.2022 को दिये गये आवेदन के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 23.06.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद अपने अंतिम चरण में है। बहस के दौरान वादीगण को पता चला कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल निबंधित दस्तावेज के संबंध में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण प्रश्न साक्षी सं0–01 अमितेश कुमार जयसवाल से नही पुछे गये है, जो अति आवश्यक है। प्रतिवादी साक्षी सं0–01 अमितेश कुमार जयसवाल का प्रतिपरीक्षण करना अति आवश्यक है अन्यथा वादी न्याय पाने से वंचित हो जायेंगें और उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी साक्षी सं0–01 को प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित कराने की कृपा प्रदान करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 23.06.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत आवेदन में वादीगण ने कथन किया गया है कि वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण प्रश्नगत प्रतिवादी साक्षी सं0–01 अमितेश जयसवाल से नही पुछा गया है जबकि प्रतिपरीक्षण की कंडिका सं0–19, 21, 28, 29, 30 एवं 32 में निबंधित दस्तावेजों पर पुर्ण रूप से प्रश्न पुछा गया है। वादीगण को यह अधिकार प्राप्त नही है कि अपनी कमी एवं लैकूना को पुरा करने के लिए साक्षी सं0–01 का प्रतिपरीक्षण करें। वादीगण का आवेदन दिनांक 23.06.2023 को खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख दिनांक 17.04.2023 को निर्णय हेतु नियत था। दिनांक 15.04.2023 को वादीगण की ओर	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–235/2012
CIS NO. TS-187/2018

लगातार 28.06.2023	से एक आवेदन दाखिल कर बंटवारा वाद सं0–17/1953 का सुलहनामा तथा डिक्री की सच्ची प्रति तथा भूहदबंदी वाद सं0–41/1973–74 बिहार सरकार बनाम बालदेव प्रसाद में दिये आवेदन दिनांक 21.08.2006 की सच्ची प्रति एवं लीज एकरारनामा अजय प्रसाद बनाम समसाद दिनांक 23.12.2013 की मूल प्रति दाखिल कर प्रदर्श अंकित कराने का निवेदन किया। जिसे स्वीकार किया गया। पुनः उक्त आवेदन वादीगण की ओर से दिया गया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रस्तुत वाद दिनांक 02.05.2017 से बहस हेतु चल रहा है अर्थात करीब 6 वर्षो से अभिलेख बहस हेतु नियत है। अगर वादीगण सर्तकता बरतते तो उक्त आवेदन देने की आवश्यकता नही होती। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं0–01 का पूर्व में ही पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु फिर भी न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को मो0–3000/–(तीन हजार) रूपये हर्जे पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निबंधित दस्तावेज के संबंध में ही प्रश्न पूछे तथा दिनांक 02.05.2017 के आदेश को वापस लेते हुये अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु निर्धारित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तिथि को प्रतिवादी साक्षी अमितेश कुमार जयसवाल को प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में उपस्थित रखें। आगामी दिनांक 30.06.2023 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	